

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन

मुकदमा नं० 131 / 2023

तारीख रजू :- 17-7-2023

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आईडी नम्बर 2023/292

रमेश चन्द पुत्र हंसे जाति मीना निवासी श्यामपुर मूडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—सायल

बनाम

लक्ष्मीनारायण पुत्र हंसे जाति मीना निवासी श्यामपुर मूडरी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-06

दिनांक

फर्द अहकाम

17-7-2023 यह दावा वादी की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट के जरिए पेश हुआ. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 24.07.2023 को पेश हो।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

दकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी.....

पधारें है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हों।

12¹⁰/₂₃ पत्रावली माज मिश्रल तलबी के आग पत्र पर रमेश
पेश हुई। वादी व वादी वकील उपासीत।
वादी व वादी वकील ने अनगत कराया कि
वादी उमरुण माजी गरी चलाना चाहता है।
वादी उमरुण नोटिस में शामिल करना
चाहते हैं। अतः मु.नं 131/23 दावा रमेश चन्द
बनाम लक्ष्मीनारायण नोटिस में शामिल किया
जाता है। पत्रावली के मा. सुमार रज. नम्बर 292
गम 2/19
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)